

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन

पीठासीन अधिकारी :- राजेश सुवालका (R.A.S.)

प्रकरण संख्या/75/2023 वाद

दायर दिनांक 18.07.2023

उनवान

बनाम

1. सत्यनारायण पिता शंकर जाति जाट आयु वयस्क निवासी वावरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

1. किशना पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी वावरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. जगदीश पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी वावरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. वालु पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी वावरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. प्यारी पत्नी डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी वावरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. बद्री पिता डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी वावरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. भगवानी पुत्री डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी वावरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. शान्ता पुत्री डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी वावरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री लक्ष्मीशंकर जाट
अधिवक्ता श्री रोशनलाल जाट
एकतरफा

-वादी
-प्रतिवादी सं० 4 से 7
-प्रतिवादी सं० 1 से 3



:- वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 17.02.2026

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की आराजीयात मौजा वावरियाखेडा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 12 के हाल आराजी नम्बर 170, 171 कुल किता 02 कुल रकबा 0.72 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 118 के आराजी संख्या 194, 195, 218, 219 कुल किता 04 कुल रकबा 1.73 हैक्ट0 स्थित है। अतः प्रार्थना है कि पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बंटवाडा आराजीयात की डिक्री इस आशय की फरमाई जावें कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादगत आराजीयात का विधिक रूप से बटवाडा मिट्स एण्ड वाउण्ड के आधार पर कराया जाकर के वादी के संयुक्त रूप से अलग से खाताबन्दी एवं लगानबन्दी कायम कराने की डिक्री पक्षवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल जाट का अधिकार पत्र पेश जो शा0फा0 है। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 के विरुद्ध वावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 02.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। हाजिर वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया। जो स्वीकार किया जाकर बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 02.01.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 11.11.2025 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 17.02.2026 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा वावरियाखेडा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 12 के हाल आराजी नम्बर 170, 171 कुल किता 02 कुल रकबा 0.72 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 118 के आराजी संख्या 194, 195, 218, 219 कुल किता 04 कुल रकबा 1.73 हैक्ट0 स्थित है जो

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 11.11.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

1. सत्यनारायण पिता शंकर जाति जाट हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (हे0)	किस्म
1	171	0.36	चा0 2
2	218 / 1	0.54	बारानी 2
3	195 / 1	0.10	बारानी 2
4	194 / 1	0.2250	चाही 2
योग	कुल किता-04	1.2250	

2. प्यारी पत्नी डालु हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार
बद्रीलाल पिता डालु हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार
भगवानी पुत्री डालु हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार
शान्ता पुत्री डालु हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (हे0)	किस्म
1	194 / 2	0.2250	चाही 2
2	195 / 2	0.1000	बारानी 3
3	219	0.47	बारानी 3
4	218 / 2	0.07	बारानी 3
योग	कुल किता-04	0.8650	

3. किशन पुत्र गणेश हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार
जगदीश पुत्र गणेश हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार
बालु पुत्र गणेश हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (हे0)	किस्म
1	170	0.36	चाही 2
योग	कुल किता-01	0.36	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (क) (क)
पदेन सहायक, कलक्टरेट गढ़
कपासन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन

पीठासीन अधिकारी :- राजेश सुवालका (R.A.S.)

उनवान

बनाम

1. सत्यनारायण पिता शंकर जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

1. किशना पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. जगदीश पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. बालु पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. प्यारी पत्नी डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. बद्री पिता डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. भगवानी पुत्री डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. शान्ता पुत्री डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

दावा बाबत धारा 53 आर0टी0एक्ट0.

मुकदमा नम्बर :- 75/2023

निर्णय दिनांक :- 17.02.2026

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीशंकर जाट व प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल जाट व शेष प्रतिवादीगण विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही में इस वाद में आज तारीख 17.02.2026 को राजेश सुवालका (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, कपासन के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि मौजा बाबरियाखेडा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 12 के हाल आराजी नम्बर 170, 171 कुल किता 02 कुल रकबा 0.72 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 118 के आराजी संख्या 194, 195, 218, 219 कुल किता 04 कुल रकबा 1.73 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 11.11.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

1. सत्यनारायण पिता शंकर जाति जाट हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	171	0.36	चा0 2
2	218/1	0.54	बरानी 2
3	195/1	0.10	बरानी 2
4	194/1	0.2250	चाही 2
योग	कुल किता-04	1.2250	

2. प्यारी पत्नी डालु हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार
बद्रीलाल पिता डालु हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार
भगवानी पुत्री डालु हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार
शान्ता पुत्री डालु हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार



(Handwritten Signature)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

क.स.	आ0स0	रकबा (हे0)	किस्म
1	194/2	0.2250	चाही 2
2	195/2	0.1000	वारानी 3
3	219	0.47	वारानी 3
4	218/2	0.07	वारानी 3
योग	कुल किता-04	0.8650	

3. किशन पुत्र गणेश हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार
जगदीश पुत्र गणेश हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार
बालु पुत्र गणेश हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (हे0)	किस्म
1	170	0.36	चाही 2
योग	कुल किता-01	0.36	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(~~यशवंत सुभाकर~~)
उपस्थित अधिकारी एवं
पदेन सहायक जज/क्लर्क/क्यासन

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-	अर्जी के लिए स्टाम्प	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	-	प्लीडर की फीस	-
4. रूपये पर प्लीडर की फीस	-	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-	आदेशिका की तामिल	-
6. कमिश्नर की फीस	-	कमिश्नर की फीस	-
7. आदेशिका की तामिल	-		-
जोड	-	जोड	-